न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी : ओ0पी0बिश्नोई आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 571/2022

अपीलाण्ट्स	बनाम	रेस्पोन्डेन्ट
श्रीमती पेपीबाई पुत्री मगनाजी (धर्मपत्नी गोकलसिंह जी) जाति रावणा राजपुत निवासी ग्राम बिसलपुर हाल निवासी– फालना गांव तहसील बाली जिला पाली।		राज0 सरकार जरिये तहसीलदार, बाली।

अपील अन्तर्गत धारा 75 राज0 भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्व निर्णय दिनांक 21.09.2022 जो उपखण्ड अधिकारी बाली के द्वारा प्रकरण संख्या 37/2022 अनवान पेपीबाई बनाम राज्य वगैराह में पारित किया गया।

उपस्थितिः–

1– श्री पूनाराम बिश्नोई, अधिवक्ता अपीलान्टस की ओर से।
2– श्री नवल सिंह दहिया, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 1 की ओर से।

निर्णय

दिनांक 24 जुलाई, 2023

उक्त अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी/प्रार्थीनी द्वारा उपखण्ड अधिकारी बाली के समक्ष एक प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 136, 128 राज0 भू0 राजस्व अधिनियम का इस आशय का पेश किया कि ग्राम बिसलपुर तहसील बाली, के गत खसरा सं. 680 मीन रकबा 28 बीघा 15 बिस्वा कृषि भूमि प्रार्थीनी पेपीबाई पुत्री मगनाजी जाति रावणा राजपूत को आवंटन/नियमन कमेटी द्वारा दिनांक 20–6–1978 को नियमन की गई। उक्त आदेश की पालना में प्रार्थीनी के नाम नामान्तकरण सं. 591 स्वीकृत किया गया। वादग्रस्त खसरा भूमि के गत खसरा नं. 680 मीन रकबा 28 बीघा 15 बिस्वा के हाल खसरा सं. 2206/2407 क्षेत्रफल 1.54 हैक्टर व खसरा नं. 2207 क्षेत्रफल 3.11 हैक्टर कुल क्षेत्रफल 4.65 हैक्टर बने परन्तु राजस्व कार्मिकों की भूल से उक्त भूमि को राजस्व रेकर्ड में सिवाय चक भाकर के रूप में सम्पूर्ण रकबा दर्ज कर दिया गया जबकि प्रार्थीनी के नाम नामान्तरकरण दर्ज होने के पश्चात उक्त नामान्तरकरण की पालना में राजस्व रेकर्ड जगाबन्दी में अपीलार्थीनी का खातेदार के रूप में नाम दर्ज होना चाहिए था।

अधिनस्थ न्यायालय में अपने प्रार्थना पत्र में अपीलार्थीनी ने यह प्रार्थना कि माफिक नियमन व नामान्तरकरण, राजस्व रेकर्ड को दुरस्त कर प्रार्थीनी का नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज किया जाये। अपीलार्थीनी के उक्त प्रार्थना पत्र हल्का पटवारी से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की। तहसीलदार, बाली द्वारा यह रिपोर्ट पेश की कि अपीलार्थीनी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर उक्त भूमि को प्रार्थीनी के नाम दर्ज किया जाना उचित है। उसके उपरान्त भी अधिनस्थ न्यायालय द्वारा बिना कोई कारण दर्शाये अपीलार्थीनी के प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया। जिससे व्यथित होकर यह अपील निम्नलिखित आधारो पर पेश की जा रही है।

पक्षकारान के अधिवक्ता उपस्थित। वकील अपीलान्ट ने दौरान सुनवाई यह

भूल की है क्योकि अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली में अपीलार्थीनी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्यो एवं तहसीलदार बाली की तथ्यात्मक रिपोर्ट से यह स्पष्ट था कि अपीलार्थीनी का प्रार्थनापत्र स्वीकार करने लायक था फिर भी अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थीनी के प्रार्थनापत्र को खारिज करने में भयंकर कानूनी भूल की है। यह निर्विवादित तथ्य है कि उक्त भूमि पूर्व में सिवायचक भूमि थी जिसको अपीलार्थीनी के नाम उपखण्ड अधिकारी बाली द्वारा दिनांक 20–06–78 को आवंटन किया गया थां जो आवंटन आदेश के अवलोकन से स्पष्ट है। आवंटन आदेश की पालना में नामान्तरकरण सं. 591 अपीलार्थीनी के नाम खातेदार के रूप में दर्ज कर स्वीकृत हो गया जो आज दिन तक बहाल है। उस नामान्तरकरण के अनुसार जमाबन्दी में अमल दरामद का काम राजस्व कर्मचारियों का था जो आज दिन तक नही किया गया। इस कारण अपीलार्थीनी द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष रेकर्ड दुरूस्ती हेतु उक्त प्रार्थनापत्र पेश किया था। अपीलार्थीनी वक्त नियमन (आवंटन) 1978 से लेकर आज दिन तक काबिज व काश्त करती आ रही है। तहसीलदार, बाली द्वारा दिनांक 27–4–22 को रिपोर्ट पेश करने के बाद अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र को स्वीकार करने के अलावा अन्य कोई विकल्प शेष नही था। उक्त रिपोर्ट में यह स्पष्ट रूप से बताया गया कि धारा 136 के तहत अपीलार्थीनी का नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज किया जाना उचित है। फिर भी अधिन्स्थ न्यायालय द्वारा किन्ही दूसरे दावे का उदाहरण देकर प्रार्थीनी का प्रार्थनापत्र यह कहकर खारिज कर दिया कि अपीलार्थीनी के भाईयों ने कोई वाद पेश किया है। जबकि ऐसे वाद में अपीलार्थीनी पक्षकार ही नहीं रही है न ही अपीलान्ट इस भूमि बाबत कोई वाद पेश किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा गलत तथ्य दर्शाते हुए अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया जो स्वीकार करने योग्य था।

वकील अपीलान्ट ने यह भी कथन किया कि लेण्ड रिकार्ड आफिसर (उपखण्ड अधिकारी) का यह नैतिक दायित्व है कि वे राजस्व रेकर्ड के निरीक्षण के दौरान अथवा किसी पक्षकार के प्रार्थना पत्र पर धारा 136 में भी यथा सेटलमेन्ट से लेकर आज दिन तक किसी भी राजस्व रेकर्ड को दुरूस्त करने हेतु सक्षम है। अपीलान्ट को जरिये वाद के कोई खातेदारी घोषणा नहीं करवानी है क्योंकि अपीलान्ट आज भी नियमन आदेश व नामा0 के आधार पर खातेदार काश्तकार है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सरसरी तौर पर प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर दिया। इसके अतिरिक्त यह भी निवेदन है कि इसी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा एक अन्य प्रकरण संख्या 65/2019 अनवान रामचन्द्र वगैराह बनाम राज. सरकार में एक ही मामले में प्रार्थना पत्र स्वीकार किया था इससे स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जानबूझ कर अपीलान्ट के प्रार्थना पत्र को सरसरी दृष्टि से खारिज कर दिया।

वकील अपीलान्ट ने अन्त में यह कथन किया कि अपीलार्थीनी की अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 21.9.22 को निरस्त किया जावे तथा प्रार्थीनी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर उनको आवंटित हुई भूमि अनुसार एवं नामा0 संख्या 591 के अनुसार ग्राम बिसलपुर के गत ख0सं0 680 मीन रकबा

जमाबन्दी में गैर मुमकीन भाकर के स्थान पर अपीलार्थीनी के नाम जमाबन्दी में दर्ज करने का आदेश तहसीलदार, बाली को प्रदान करावें। अधिवक्ता के द्वारा अपने कथनों के समर्थन में न्यायिक दृष्टान्त अवलोकनार्थ पेश किये यथा आरआरटी 2005(2) पेज 1362, आरआरटी 2009 (1), आरआरटी 2006–2007 सप्ली. पेज 273, आरआरटी 2007(2) पेज 1430 इत्यादि।

प्रत्युतर में राजकीय अधिवक्ता ने यह कथन किया कि अपीलार्थीनी के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किये गये प्रार्थना पत्र पर तहसीलदार बाली की ओर से प्रस्तुत जॉच रिपोर्ट में अपीलार्थी को भूमि आवंटन कमेटी द्वारा भूमि आवंटन किये जाने, नामा0 संख्या 591 दिनांक 21.12.1978 को स्वीकृत होने, वर्तमान में पेपीबाई पुत्री मगनाजी का ही कब्जा काश्त होने, खसरा मिलान क्षेत्रफल के अनुसार होने का अंकन करते हुए अधीनस्थ न्यायालय को रिपोर्ट प्रेषित कर दुरूस्ती के माध्यम से पेपीबाई पुत्र मगनाजी के नाम खातेदारी दर्ज किये जाने की अनुशंषा की गई थी। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा तथ्यों पर गौर करने के उपरान्त प्रार्थीया का प्रार्थना खारिज किया गया है।

हमने उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये अपीलाधीन निर्णय दिनांक 21.09.2022 का एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं उसमे उपलब्ध दस्तावेजो आदि का अध्ययन किया। जिससे यह पाया गया कि पेपीबाई पुत्री मगना रावणा राजपुत को ग्राम बिसलपुर तहसील बाली के ख0सं0 680 में रकबा 28.15 बीघा भूमि का आवंटन वर्ष 1978 में किया गया व इसकी पालना में नामा0 संख्या 591 भी वर्ष 1978 में पेपीबाई पुत्री मगनाजी रावणा राजपूत के नाम भरा गया। तहसीलदार ने प्रतिवेदित किया है कि मिलान क्षेत्रफल अनुसार ख0सं0 680 के नये ख0सं0 2207 व 2206/2407 बने है जिनका रकबा क्रमशः 3.11 हैक्टर व 1.54 हैक्टर कुल 4.65 हैक्टर है जिस पर वर्तमान में भी प्रार्थीया पेपी पुत्री मगनाजी का कब्जा काश्त है। तहसीलदार बाली ने यह भी प्रतिवेदित किया है कि उक्त स्वीकारशुदा नामा0 संख्या 591 का सेटलमेन्ट कार्य चलने के दौरान सेटलमेंट विभाग द्वारा अमल दरामद नहीं किया गया था, इस सम्बन्ध में खतौनी संवत 2027–2030 पत्रावली पर है। राज0 भू राजस्व अधिनियम की धारा 132 के प्रावधानों अनुसार भू0 प्रबन्ध कार्यवाही के दौरान रिकार्ड ऑफ राईटरा को अद्यतन रखने का दायित्व भू0 प्रबन्ध अधिकारियों का था परन्तु उनके द्वारा प्रार्थीया को आवंटन शुदा भूमि बाबत दाखिल व स्वीकृत नामा0 संख्या 591 दिनांक 21.12.1978 का इन्द्राज अधिकार अभिलेखों में नहीं किया तथा कब्जा काश्त रिकार्ड व मौके से प्रमाणित होने के बावजूद भू0 प्रबन्ध कार्यवाही के दौरान प्रार्थी का गैर खातेदारी बिना समक्ष प्राधिकारिता व नैसर्गिक न्याय के विरूद्ध बिना सुनवाई और कारण दिये भू0 प्रबन्ध कार्यवाही के पश्चात तैयार रिकार्ड में भूमि पुनः सिवायचक दर्ज कर दी गई जो त्रुटि उपलब्ध रेकर्ड से स्पष्ट तौर पर प्रमाणित है। तहसीलदार बाली की रिपोर्ट अनुसार आवंटन शुदा कृषि भूमि गत खसरा संख्या 680 रकबा 28 बीघा 15 बिस्वा का नये खसरा संख्या 2207 रकबा 3.11 हैक्टर किस्म गैर मुमकीन

न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जोधपुर

बीघा 15 बिस्वा आवंटन शुदा भूमि का धारा 136 के तहत पेपीबाई पुत्री मगनाजी जाति रावणा राजपूत के नाम पटवारी हल्का एवं भू0अ0निरीक्षक बिसलपुर की रिपोर्ट अनुसार दर्ज किया जाना उचित है।

पैरोकार सरकार भी अपील के तथ्यों व वकील प्रार्थीगण की दलीलों का खंडन नहीं कर पाये है। इस प्रकार जब आवंटन नियम 14(4) के तहत सक्षम प्राधिकारी द्वारा निरस्त नहीं हुआ है व अपीलान्ट के नाम नामा संख्या 591 दिनांक 21.12.1978 दर्ज रिकार्ड है।

हस्तागण प्रकरण में भू प्रबन्ध अधिकारियों ने धारा 132 के तहत अपने कर्तव्यों का निर्वहन सही तौर पर नहीं किया है जिसकी वजह से गरीब काश्तकार को अपने हक से महरूम रखा जाना कतई न्यायसंगत नहीं है। पेपीबाई पुत्री मगनाजी के साथ दिनांक 20.6.1978 को ही अन्य भूमि आवंटी श्री चुनिया पुत्र मनरूप के प्रकरण संख्या 64/2019 में उपखण्ड अधिकारी, बाली द्वारा दिनांक 10.9.2020 को धारा 136 का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर चुनिया के वारिसान को गैर खातेदार के रूप में राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश पारित किये जा चुके है। चूंकि दोनों ही प्रकरण समान प्रकृति के है व आवंटन आदेश एक साथ पारित किये गये है। अतः तहसीलदार बाली की ओर से अपीलार्थीया के प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय को प्रस्तुत रिपोर्ट दिनांक 17.4.2022, उपखण्ड अधिकारी, बाली के प्रकरण संख्या 64/2019 में पारित आदेश दिनांक 10.9.2020 व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात के मध्यनजर अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राज0 भू राजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार किया जाता है तथा उपखण्ड अधिकारी, बाली के द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश 21.09.2022 को निरस्त किया जाता है। ग्राम बिसलपुर तहसील बाली में स्थित भूमि गत खसरा संख्या 680 से बने हाल ख0सं0 2207 व 2206/2407 का दुरूस्ती के माध्यम से अपीलार्थीया को राजस्व रेकर्ड में गैर खातेदार दर्ज करने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार, बाली तदनुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद के साथ तरमीम करें। निर्णय आज दिनांक 24 जुलाई, 2023 को सरे इजलास सुनाया गया।

(ओ0पी0बिश्नोई)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,
जोधपुर